

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता,
(कार्मिक अनुभाग-2),
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

2001

पत्रांक: /प्र0अ0/सिं0वि0/का0-2/पोर्टल,

दिनांक : 13 मई 2022

विषय: स्थानान्तरण सत्र 2022 में अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु समूह "ग" के कार्मिकों की अपलोड सूची के सम्बन्ध में आपत्ति हेतु अपना प्रत्यावेदन 03 दिवस के भीतर उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर- I/ II), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।

समस्त अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।

वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (बजट), कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, देहरादून।

समस्त अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।

उपरोक्त विषयक सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून के अन्तर्गत समूह "ग" में कार्यरत कार्मिकों की सुगम से दुर्गम एवं दुर्गम से सुगम हेतु अनिवार्य स्थानान्तरण की सूचियों वरिष्ठताक्रम में विभागीय बेवसाईट पर अपलोड की गयी है।

अतः विभागीय बेवसाईट पर अपलोड सूची के आधार पर अपना प्रत्यावेदन/प्रार्थना-पत्र निम्नानुसार तय समय सीमा में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

1. अपलोड की गयी सूची पर आपत्ति करने हेतु आवेदन पत्र देने की तिथि 18.05.2022।
2. अनिवार्य स्थानान्तरण के पात्र कार्मिकों द्वारा अधिकतम 10 ऐच्छिक स्थानों के विकल्प दिये जाने की तिथि 15.06.2022।
3. अनुरोध के आधार पर आवेदन किये जाने की तिथि 30.05.2022।

सम्बन्धित कार्मिक अपना प्रत्यावेदन/अनुरोध पत्र उचित साक्ष्यों सहित नियंत्रक अधिकारी द्वारा सत्यापित किये जाने के पश्चात प्रेषित करना सुनिश्चित करें।


(पी0एन0 राय)

वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक-2)
कृते प्रमुख अभियन्ता